सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-575 राँची, शुक्रवार, 26 नवम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

1 नवम्बर, 2021

संख्या-5/आरोप-1-385/2014-18006 (HRMS)--श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बुण्डू, राँची, सम्प्रति-निलंबित के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-6387, दिनांक 01.09.2009 के माध्यम से उपायुक्त, राँची के पत्रांक-451/गो०, दिनांक-05.08.2009 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों का सारांश निम्न प्रकार है-

(i) नरेगा अंतर्गत बुण्डू प्रखंड में टूंगड़ी को हराभरा करने हेतु सरकारी जमीन पर वृक्षारोपण की योजना में विधिवत् स्वीकृत्यादेश एवं योजना कोड जिला से प्राप्त होने के पूर्व ही दि०19.07.2008 को योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश स्वयंसेवी संस्थाओं को निर्गत किया गया, जो निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है ।

(ii) नरेगा अंतर्गत स्वीकृत कुल 23 वृक्षारोपण योजनाएं, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 1,11,17,800/- रू० (प्रथम वर्ष के लिए) के विरूद्ध 13 योजना उत्थान संस्था को एवं 10 योजना ऊँ साई खादी ग्रामोद्योग को क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया एवं नरेगा अधिनियम एवं सामान्य प्रक्रिया के विपरीत वगैर मस्टर रॉल/मापी प्राप्त किये, मस्टर रॉल का सत्यापन कराये तथा वगैर योजना स्थल

का निरीक्षण किये उक्त कुल 23 योजनाओं के विरूद्ध कुल 47.515 लाख रू० का अग्रिम का भुगतान किया गया, जो नियम विरूद्ध है एवं राशि के गबन/दुरूपयोग की मंशा परिलक्षित होता है। (iii) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4191, दिनांक 04.06.2008 में दिये गये निदेश के विरूद्ध गैर सरकारी संस्थानों को वगैर जिला से आदेश/ स्वीकृत/अनुमोदन प्राप्त किये कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित करना एवं एजेंसी चयन में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रबंध पर्षद् का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न करना ।

(iv) नरेगा अंतर्गत क्रियान्वित वृक्षारोपण योजनाओं में ससमय मजदूरी भुगतान न करवाना एवं मजदूरों के शिकायत के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई न करना। फर्जी मस्टर रॉल के आधार पर बिना मस्टर रॉल सत्यापन के सरकारी राशि का भुगतान किया गया ।

(v) नरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड, जॉब कार्डधारी मजदूरों के पास न होकर कार्यकारी एजेंसी एन०जी०ओ० द्वारा अपने पास रखना एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, बुण्डू द्वारा प्रतिवेदित करने पर भी इस संबंध में कोई कार्रवाई न करना ।

(vi) श्री रौशन कुजूर, कनीय अभियंता के द्वारा नरेगा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण के योजना सं०-16, 17, 18 एवं 23/2008-09 में ट्रेंच कटिंग का कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं करने के प्रतिवेदन के बावजूद भी आरोपी के द्वारा योजनाओं के वगैर निरीक्षण/पर्यवेक्षण के मात्र अग्रिम भुगतान का कार्य किया जाना, जो प्रथम दृष्टया सरकारी राशि के दुरूपयोग का मामला बनता है ।

(vii) अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू, राँची के पत्रांक-385, दिनांक 25.05.2009 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नरेगा अंतर्गत ग्रेड-1 पथ, चेक डैम, वृक्षारोपण एवं तालाब निर्माण की कुल 30 योजनाएं अनधिकृत रूप से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आरोपी द्वारा ली गई, जब जिला में आदर्श आचार संहिता लागू था। उक्त योजनाओं में वगैर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये योजना की स्वीकृति प्रखंड स्तर पर प्रदान की गई एवं कुल प्राक्कलित राशि 2,60,24,732/- रू0 के विरूद्ध 34,75,000/- रू० अग्रिम का भुगतान किया गया। ग्राम सभा का आयोजन भी फर्जी तरीके से किया गया है। इन योजनाओं में प्रथम अग्रिम के पश्चात् द्वितीय अग्रिम का भुगतान बिना कोई कार्य किये ही किया गया है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8154, दिनांक 16.12.2009 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में श्री कुमार ने पत्रांक-06, दिनांक 11.12.2010 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3481, दिनांक 24.06.2011 द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, राँची के पत्रांक-17(i)/गो०, दिनांक 17.01.2012 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक प्रतिवेदित किया गया ।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-3571, दिनांक 12.04.2012 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लिया गया, जिसमें श्री पंकज मिश्रा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०-सह-विभागीय

जांच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया एवं बाद में विभागीय संकल्प सं०-6504, दिनांक 19.05.2012 द्वारा श्रीमती शीला किस्कू रपाज, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी श्रीमती रपाज के पत्रांक-344, दिनांक 10.10.2013 द्वारा जांच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

श्री कुमार के पत्रांक-16, दिनांक 13.12.2013 द्वारा श्रीमती रपाज, संचालन पदाधिकारी के विरूद्ध कतिपय आरोप लगाते हुए किसी अन्य संचालन पदाधिकारी से आरोपों की जांच का अनुरोध किया गया।

विभागीय पत्रांक- 2920, दिनांक 24.03.2014 के द्वारा उपायुक्त, राँची से श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों में सन्निहित सरकारी राशि की क्षति का आकलन कर प्रतिवेदन की मांग की गई। उपायुक्त, राँची के पत्रांक-181(i) दिनांक 14.08.2015 द्वारा 78.69 लाख रू०सरकारी राशि क्षति के प्रतिवेदन के आलोक में विभाग स्तर पर पूरक प्रपत्र-'क' गठित कर विभागीय संकल्प सं०-3753, दिनांक 09.05.2016 द्वारा पुनः विभागीय कार्यवाही के संचालन का निर्णय लिया गया ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-119, दिनांक 13.04.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। श्री कुमार विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री कुमार को निलंबित करने एवं इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर इनसे द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया ।

विभागीय पत्रांक-1210, दिनांक 08.02.2019 द्वारा श्री कुमार से दण्ड अधिरोपण के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई एवं इस हेतु विभागीय पत्रांक-3099, दिनांक 16.04.2019 एवं पत्रांक-3820, दिनांक 17.05.2019 द्वारा स्मार पत्र निर्गत किया गया ।

श्री कुमार द्वारा अपने पत्रांक-11, दिनांक 03.06.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु उनके ऊपर लगे आरोपों से संबंधित संचिका के टिप्पणी भाग एवं आदेश पत्रक (Ordersheet) की पठनीय छायाप्रति उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया, किन्तु संचिका के टिप्पणी भाग एवं आदेश पत्रक (Ordersheet) की द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु आवश्यकता न रहने के कारण उनके अनुरोध को अस्वीकार किया गया एवं इस संबंध में विभागीय पत्रांक-4916, दिनांक 21.06.2019 द्वारा उन्हें सूचना प्रेषित की गई ।

विभागीय पत्रांक-5533, दिनांक 12.07.2019 द्वारा श्री कुमार को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु पुनः स्मार पत्र निर्गत किया गया। इसके उत्तर में उनके द्वारा पत्रांक-13, दिनांक 11.07.2019 द्वारा पुनः पूर्व में मांगे गये दस्तावेज उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया। तदोपरान्त विभागीय पत्रांक-6335, दिनांक 06.08.2019 द्वारा श्री कुमार को कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित संचिका का अवलोकन कर वांछित दस्तावेज की मांग करने का निदेश दिया गया।

श्री कुमार द्वारा दिनांक 13.09.2019 को आवेदन देकर कतिपय कागजातों की माँग की गयी। विभागीय पत्रांक-8175, दिनांक 10.10.2019 द्वारा कागजात उपलब्ध कराने संबंधी उनके आवेदन दिनांक 13.09.2019 को अस्वीकृत किये जाने की सूचना उन्हें दी गयी ।

श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित न कर अपने पत्रांक-15, दिनांक 22.08.2019 द्वारा योजनाओं में क्षति का आकलन करने एवं क्षति के लिए उत्कतरदायी कर्मचारी/पदाधिकारी को चिन्हित करने का अनुरोध किया गया ।

श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा अप्राप्त रहने के कारण श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-471, दिनांक 24.01.2020 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया। सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-454, दिनांक 19.02.2020 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है ।

मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची के गै०स०प्रे०सं०-3600416, दिनांक 25.06.2020 एवं गै०स०प्रे०सं०-3600621, दिनांक 10.08.2020 के माध्यम से श्री कुमार का अभ्यावेदन विभाग को प्राप्त हुआ। श्री कुमार द्वारा अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) दिनांक 15.07.2008 को वृक्षारोपण की योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में एक बैठक आयोजित की गई थी। बाद में यह बैठक गोपनीय शाखा में आयोजित हुई। इस बैठक में उपायुक्त, उप विकास आयुक्त एवं अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया था कि योजनाओं का कार्यान्वयन यथाशीघ्र प्रारंभ कर दिया जाय तथा योजना प्रारंभ नहीं करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई एवं कड़े शब्दों में निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाय। इस परिस्थिति में एवं काम प्रारंभ करने के दबाव में दिनांक 19.07.2018 को कार्यादेश निर्गत किया गया। उपायुक्त के पत्रांक-1360, दिनांक 05.07.2008 के विषय में लिखा हुआ है "नरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में" जबकि उप विकास आयुक्त के पत्रांक-1549 दिनांक 22.07.2008 के विषय में लिखा हुआ है कि "नरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण की स्वीकृति योजना के कोड के आवंटन के संबंध में"। उपरोक्त दोनों पत्रों के विषयों से स्पष्ट है कि योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रथम पत्र से ही प्राप्त हो गई थी तथा दूसरे पत्र से स्वीकृत योजना में कोड आवंटित किया गया था। बैठक में भी स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया था कि योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है, कार्य प्रारंभ करें बाद में अन्य औपचारिकतायें पूरी की जायेंगी। राँची जिला में पूर्व से भी शेल्फ ऑफ स्कीम की स्वीकृत योजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के बाद योजना कोड उपलब्ध कराया जाता रहा है। यह तथ्य उपायुक्त, राँची के पत्रांक-1637/जि०ग्रा० दिनांक 04.12.2007 की कंडिका-2 एवं 4 में स्पष्ट रूप से अंकित है। साथ ही उप विकास आयुक्त के पत्रांक-1150/जि०ग्रा० दिनांक 16.12.2007 भी इस तथ्य की पुष्टी करता है ।

(ii) सतत रोजगार के अवसर की उपलब्धता तथा समय पर मजदूरी भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि कार्य अवरूद्ध न हो नरेगा अंतर्गत स्वीकृत कुल 23 योजनाओं में राशि का भुगतान कनीय अभियंता एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों की अनुशंसा के उपरान्त नियमानुसार किया गया है। प्रखंड

द्वारा किये गये एकरारनामें में दो बातें स्पष्ट रूप से उल्लेख की गई थी कि नरेगा में मजदूरों की मजदूरी भुगतान नरेगा मार्गनिर्देशिका के अनुरूप किया जायेगा तथा योजना समाप्ति के उपरान्त स्थल पर पौधे पूरी संख्या में एवं स्वस्थ रहनी चाहिए, अन्यथा कार्यकारी ऐजेंसी को राशि वापस करनी होगी। मास्टर रौल के सत्यापन का कार्य क्षेत्रीय कर्मचारियों एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा किये जाने का निदेश दिया गया था। योजना में कार्यकारी एजेंसी को जो भी अग्रिम दिया गया वो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची के पत्रांक-1637 दिनांक 04.12.2007 एवं पत्रांक-981 दिनांक 07.05.2008 के अनुसार ही दिया गया था ।

(iii) राज्य सरकार द्वारा जारी नरेगा Operational Guideline एवं अधिनियम की मार्गदर्शिका में कार्यकारी एजेंसी के रूप में गैर सरकारी संगठनों को आवंटित करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न बैठकों में दिये गये निदेश से स्पष्ट हो गया था कि टुंगरी को हरा-भरा करने की योजना वन विभाग से संबंधित कार्यकारी संस्थाओं से नहीं, बल्कि प्रखंड द्वारा ही कराया जायेगा। प्रखंड के पास वानिकी से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक ज्ञान एवं तंत्र का अभाव था। प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पद भी रिक्त था। पूर्व से प्रखंड में वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत करीब 40 योजनाओं में से 10-12 से अधिक योजनाओं पर कार्य प्रारंभ नहीं कराया जा सका था। अथक प्रयास के बाद भी चालू योजनाओं को पूर्ण नहीं कराया जा सका था। ये सभी योजनाएं लाभुक समिति द्वारा संचालित योजनाएं थीं ।

उक्त परिस्थिति में मेरे द्वारा सभी जमीनी सच्चाई से अपने पत्रांक-5(कैंप) दिनांक 28.06.2008 द्वारा अवगत कराया गया एवं स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया कि प्रखंड से वृक्षारोपण की योजनाओं का कार्यान्वयन कठिन है, किन्तु बरसात के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य उपलब्ध कराने हेतु इन योजनाओं की महत्ता को देखते हुए इसे हर हालत में कार्यान्वित करने का सख्त आदेश प्राप्त हुआ। इस परिस्थिति में योजनाओं का कार्यान्वयन किसी दूसरी एजेंसी से कराने के संबंध में उच्चाधिकारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियों से विमर्श किया गया ।

इस अवधि में मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनाहातु का अतिरिक्त प्रभार में था। सोनाहातु प्रखंड में नरेगा में कई एन०जी०ओ० पहले से कार्य कर रहे थे। अन्य जिलों में भी जैसे-देवघर में भी एन०जी०ओ० नरेगा में कार्य कर रहे हैं। नरेगा मार्गनिर्देशिका में भी एन०जी०ओ० को कार्यकारी एजेंसी बनाने का प्रवधान है ।

परम्परागत रूप से बुण्डू में कार्यान्वयन एजेंसी का चुनाव ग्रामसभा से ही किया जाता था। नरेगा Operational Guideline में भी ग्रामसभा को सर्वोपरि माना गया है। एन०जी०ओ० का भी चुनाव ग्रामसभा के द्वारा किया गया था। मेरे द्वारा केवल उसका अनुमोदन किया गया है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को ग्रामसभा के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने का अधिकार नहीं है। वृक्षारोपण हेतु चयनित संस्था बुण्डु में काफी दिनों से अन्य क्षेत्रों में भी कार्यरत् था। इस परिस्थिति में योजना के कार्यान्वयन हेतु ग्रामसभा के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए एन०जी०ओ० को कार्य आवंटित किया गया। दोनों एन०जी०ओ० पूर्व से ही बुण्डू एवं सोनाहातु प्रखंडों में नरेगा एवं अन्य क्षेत्रों में सरकारी कार्य कर रहे थे तथा बाहरी नहीं थे। इस संबंध में उच्चाधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया था तथा स्पष्ट निदेश मिलने के बाद ही कार्य आवंटित किया गया ।

मुझे ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र सं०-4191 दिनांक 04.06.2008 की कोई जानकारी नहीं थी। प्रखंड में इस बात की भी कोई जानकारी नहीं थी कौन सी संस्था जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रबंध परिषद् से अनुमोदित है एवं कौन सी नहीं है। बुण्डू व सोनाहातु प्रखंड में दोनों एन०जी०ओ० पहले से नरेगा सहित कई प्रकार के सरकारी कार्यों (पेयजल एवं स्वच्छता तथा शिक्षा आदि) का कार्य कर रहे थे, जिससे स्पष्ट था कि उन्हें वांछित अनुमति/अनुमोदन प्राप्त था ।

कार्य आवंटित करने के बाद इसकी सूचना जिला को दी गई। प्रत्येक महीना मासिक प्रगति प्रतिवेदन में सभी योजनाओं के बारे में विहित प्रपत्र में जिला को सूचना प्रेषित की जाती थी, जिसमें कार्यान्वयन एजेंसी के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख रहता था। साथ ही मास्टर रौल की एम०आई०एस० इंट्री भी उस समय डी०आर०डी०ए० के द्वारा ही करायी जाती थी। इस प्रकार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को वृक्षारोपण का कार्य इस प्रखंड में एन०जी०ओ० से कार्यान्वित कराने की पूरी जानकारी थी, किन्तु अभिकरण से योजना के कार्यान्वयन से एन०जी०ओ० को हटाने की कभी भी कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया गया ।

(iv) कार्यादेश एवं एकरारनामा में योजनाओं का कार्यान्वयन नरेगा के मापदण्डों के अनुरूप कराने का स्पष्ट निदेश है। योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण का दायित्व दोनों प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों को विशेष रूप से दिया गया था। उन्हें आदेश दिया गया था पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक के साथ सभी योजनाओं का अनुश्रवण लगातार करते रहे तथा मजदूरी भुगतान में विलम्ब नहीं हो, इसे सुनिश्चित करें। अगर कोई जान-बूझकर मजदूरी भुगतान में विलम्ब करता है तो उसे संगत कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्राथमिकी भी दर्ज की जानी चाहिए। उन्हें यह भी निदेश दिया गया था कि मजदूरी भुगतान लम्बित रहने पर तुरन्त इसकी सूचना मुझे दें। जब भी मजदूरी भुगतान में देरी की बात मेरे सामने आयी है तो मैंने त्वरित कार्रवाई की है। मैं चूँकि दो प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन कर रहा था, फलतः मुझे सारी योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर अनुश्रवण करने का समय कम मिलता था। मैंने विभिन्न बैठकों में सख्त निदेश दिया था कि योजनाओं का स्थल पर जाकर सतत अनुश्रवण करते रहे तथा मजदूरी भुगतान से संबंधित या अन्य कोई कमी पाये जाने पर तुरन्त कार्रवाई करें। प्रखंड में योगदान देने के कुछ ही दिन बाद निधि उपलब्ध रहने के बाद भी मजदूरी भुगतान नहीं करने पर लाभुक समिति के अध्यक्ष एवं सचिव पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी। मुझे लगता है कि एन०जी०ओ० एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों के साँठगाँठ के कारण मजदूरी भुगतान लम्बित होने की सूचना मेरे स्तर पर नहीं आने दिया। मजदूरी भुगतान में विलम्ब के लिए संस्था एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रखंड में आयोजित विभिन्न बैठकों की कार्यवाही अनुलग्नक के रूप में संलग्न है ।

(v) नरेगा मार्गदर्शिका 2008 के अनुसार जॉब कार्ड पंजीकृत श्रमिकों के पास ही रहना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर यह देखना रोजगार सेवक, पंचायत सेवक का कार्य है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति किसी श्रमिक का जॉब कार्ड रख लेता है तो वह निश्चित रूप से दण्डात्मक कार्यवाही हेतु दोषी है तथा उस व्यक्ति पर कार्रवाई हेतु रोजगार सेवक, पंचायत सेवक या प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को यह सूचना मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी को देना चाहिए, ताकि उस पर ससमय कार्रवाई किया जा सके। किन्तु प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी श्री गुंजन कुमार एवं सुश्री मरियम बानो द्वारा तथ्य को छिपा देने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी। अगर मुझे उस गड़बड़ी की जानकारी होता तो मैं अवश्य

कार्रवाई करता। मैं नरेगा में काफी संवेदनशील रहा हूँ तथा पहले भी ससमय मजदूरी भुगतान नहीं करने के कारण श्री फणीभूषण सिंह मुण्डा, ग्राम प्रधान, ग्राम-हुमटा पर कानूनी कार्रवाई कर चुका हूँ।

(vi) नरेगा कनीय अभियंता श्री रोशन कुजूर को सख्ती से नापी का निदेश दिया गया था तथा इसकी जांच सहायक अभियंता श्री अनिल कुमार को करने हेतु निदेशित किया गया था। मैंने कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को ट्रेंच कटिंग का कार्य का अनुश्रवण करने का स्पष्ट निदेश दिया था। प्राक्कलन के अनुरूप ट्रेंच कटिंग नहीं होना तकनीकी पर्यवेक्षण का अभाव है तथा इसके लिए संस्था पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे मानक के अनुसार ट्रेंच कटिंग नहीं करने के बारे में कनीय अभियंता श्री रोशन कुजूर से सूचना मिली थी। मैंने तुरंत संबंधित एन०जी०ओ० पत्र देकर उसे दुरूस्त करने का आदेश दिया था। साथ ही तकनीकी पर्यवेक्षकों को भी स्पष्ट आदेश दिया था कि हर हाल में कार्य के अनुसार ही मापी किया जाय ।

(vii) अनुमंडल पदाधिकारी, बुण्डू द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में उप विकास आयुक्त, राँची द्वारा पत्रांक-256/गो० दिनांक 10.06.2009 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का प्रेषण पत्रांक-307/वि० दिनांक 02.08.2009 के द्वारा बिन्दुवार दिया गया था। अतः आरोप सं०-7 के उत्तर में पत्रांक-307/वि० दिनांक 02.08.2010 सम्मिलित किया जाता है, जिसमें आरोपों का बिन्दुवार उत्तर दिया गया है ।

तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू के द्वारा लगाया गया आरोप यह है कि योजनाएं अनुमान्य श्रेणी की नहीं है, इसके जवाब में मुझे कहना है कि ली गई योजनाओं में ग्रेड-1 रोड, चेक डैम, गार्ड वॉल, समतलीकरण, वनरोपण, पुलिया तथा तालाब निर्माण की थी, जो अनुमान्य श्रेणी की योजनाएं हैं। नरेगा अधिनियम एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा जारी किये गये दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से अंकित है। पूर्व में एवं बाद में भी ये योजनाएं नरेगा में ली जाती रही है। अतः लगाया गया आरोप निराधार प्रमाणित होता है ।

सभी योजनाएं शेल्फ ऑफ स्कीम की योजनाएं हैं, जो ग्रामसभा के द्वारा चयनित तथा उपायुक्त महोदय द्वारा शेल्फ ऑफ स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये सभी योजनाएं मानक प्राक्कलन पर आधारित है तथा परम्परा एवं नियमानुसार काम की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए शेल्फ ऑफ स्कीम की योजना पर कार्य प्रारंभ कर देना है एवं नियमानुसार अग्रिम देने का भी प्रावधान किया गया है। नरेगा योजना का मूल उद्देश्य रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है, बाद की सारी आपचारिकतायें द्वितीयक आयाम है। यह तथ्य उपायुक्त, राँची के पत्रांक-5358/गो० दिनांक 05.11.2007 से स्पष्ट है ।

इनके द्वारा ग्रामसभा को फर्जी बताया गया है वह भी बिना जांच किये हुए ही। फर्जी बताने का आधार यह है कि ग्रामसभा पहले करा ली गयी, जबकि हकीकत यह है कि नरेगा में योजना चयन आदि के लिए ग्रामसभा पहले ही करायी जाती है तथा यह ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में होता है ।

यह सभी योजनाएं दिनांक 21.02.2009 से 26.02.2009 तक ली गई है, किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी, बुण्डु का कहना है कि योजनाएं आचार संहिता लागू रहने के दौरान ली गई थी। ऐसा चेक भुनाने की तिथि के आधार पर कहा गया है। यहां यह योजना का प्रारंभ चेक भुनाने की तिथि से निर्धारित करना बिल्कुल ही अनुचित है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि योजना प्रारंभ होने के काफी बाद

कार्य प्रारंभ होता है तथा उसके बाद मजदूरी भुगतान के लिए चेक बैंक भेजा जाता है। इसके अलावे यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि नरेगा योजनाओं पर चुनाव के दौरान आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि यह किसी को उपकृत करने के लिए नहीं अपितु काम के अधिकार के अधिनियम के अनुपालन हेतु किया जाता है। अतः इनका यह आरोप निराधार है ।

श्री कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में मामले की पुनः समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में श्री कुमार पर लगाये गये आरोप की प्रकृति के अनुरूप उन्हें दी जाने वाली बर्खास्तगी की सजा समतुल्य नहीं रहने तथा मामले की पुनः समुचित समीक्षा कर उपस्थापित किये जाने संबंधी माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के आलोक में मामले की पुनः समीक्षा की गई ।

समीक्षोपरांत, श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बुण्डू, राँची, सम्प्रति-निलंबित के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत् निन्दन तथा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत् पाँच वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	LALAN KUMAR JHK/JAS/174	श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), सम्प्रति-निलंबित के विरूद्ध निन्दन तथा पाँच वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 575 -- 50